UPSR010005182016

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– राकेश धर दुबे, **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02008**

सत्र परीक्षण नं०-74/2016

राज्य उ0 प्र0 .....अभियोगी

बनाम

1– राम भरोसे (दौरान मुकदमा मृत्यु) पुत्र भगवान

2– मुंशीलाल पुत्र राम भरोसे

निवासी–महरौली, थाना–इकौना, जनपद–श्रावस्ती।

.....अभियुक्त

अ०सं०–460/2016
धारा–302/34, 325/34 भा०दं०सं०
थाना–इकौना, जनपद–श्रावस्ती

निर्णय

1– अभियुक्त **मुंशीलाल** का विचारण पुलिस थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती द्वारा अपराध सं० 460/2016 में विवेचना के उपरान्त प्रेषित आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 302 भा0दं0सं0 के आधार पर किया गया। अभियुक्त का केस सम्बन्धित मजिस्ट्रेट श्रावस्ती के न्यायालय द्वारा सत्र सुपुर्द किया गया। **अभियुक्त रामभरोसे की मृत्यु हो जाने के कारण उसका मामला दिनांक 20.11.2023 के आदेश से उपशमित किया गया है।**

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः– वादी मुकदमा राकेश कुमार वर्मा पूर्व प्रधान ने प्रभारी निरीक्षक थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती को दिनांक 27.03.2016 को इस आशय की तहरीर दिया कि वादी मुकदमा के गांव के केश कुमार की मौत 7–8 साल पहले हो चुकी है। केश कुमार की पत्नी अंजनी अपनी लड़की श्वेता और पुत्र अनूप के साथ घर में रहती थी। बाबा दादी की मौत के बाद पैतृक जमीन ननद अंजना

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.03.23 15:27:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

और बहू अंजनी के नाम हो गयी। पैतृक जमीन को लेकर अंजना और अंजनी में विवाद होने लगा इसी कारण अंजना अपनी बहन गुड़िया के घर केवलपुर में रहने लगी। होली से एक दिन पूर्व पट्टीदार राम भरोसे के घर होली का त्यौहार मनाने आयी थी। रात में किसी ने उसे मार पीट दिया था। इसी कारण अंजनी के दरवाजे पर रात्रि करीब 12.30 बजे के आस पास राम भरोसे पुत्र भगवान, मुंशीलाल, ननके पुत्र राम भरोसे निवासी महरौली, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती आकर जमीन विवाद के कारण अंजनी को मार पीटकर वापस चले गये। इसी मार पीट के आत्मग्लानि के कारण अंजनी ने अपने घर के कमरे में छत के गुण्डे से रस्सी बांधकर आत्म हत्या कर ली। प्रातः वह तथा गांव के कुछ लोग आकर दरवाजा तोड़कर अंजनी के शव को बाहर निकाला। शव घर के आंगन में रखा है। सूचना को आया है। अग्रिम कार्यवाही करने की याचना की गयी।

3– वादी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती में दिनांक 27.03.2016 को समय करीब 8.30 बजे अपराध संख्या 460/2016 धारा 323, 306 भा0दं0सं0 के अपराध के सम्बन्ध में अभियुक्तगण राम भरोसे, मुंशीलाल व ननके निवासीगण महरौली, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

4– सम्बन्धित पुलिस विवेचनाधिकारी द्वारा मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा सम्बन्धित विवेचनाधिकारी ने आवश्यक अभियोजन साक्षीगण के बयान अंकित किये, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया एवं मामले से सम्बन्धित आवश्यक विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण राम भरोसे व मुंशीलाल के विरूद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 302 भा0दं0सं0 के अपराध के सम्बन्ध में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा मामले पर संज्ञान लिया गया। मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण अभियुक्तगण का उपरोक्त मामला सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया।

6– इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 28.07.2016 को अभियुक्तगण राम भरोसे व मुंशीलाल के विरूद्ध धारा 302/34, 325/34 भा0दं0सं0 के अपराध के सम्बन्ध में आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की मांग की। उक्त आरोप सम्बन्धी आदेश को अभियुक्तगण द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है।

7– अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को, मौखिक साक्ष्य के रूप में न्यायालय में परीक्षित कराया गया है।

1–पी०डब्लू०–1 राकेश कुमार वर्मा (साक्षी तहरीर प्रदर्श क–1 व पंचनामा प्रदर्श क–2)

2–पी०डब्लू०–2 श्वेता

3–पी०डब्लू०–3 अनूप कुमार

4–पी०डब्लू०–4 कर्ताराम

5– डा0 अजय गौतम (साक्षी पोस्टमार्टम प्रदर्श क–3)

6– उ0नि0 अखिलेश राही (साक्षी पुलिस प्रपत्र संख्या 33 प्रदर्श क–4, फोटोनाश प्रदर्श क–5, प्रतिसार निरीक्षक चिट्ठी प्रदर्श क–6, पत्र प्रभारी चिकित्साधिकारी सदर अस्पताल भिनगा प्रदर्श क–7, चालान नाश प्रदर्श क–8, फर्द बावत लेने कब्जा पुलिस एक अदद रस्सी प्लास्टिक प्रदर्श क–9, नक्शानजरी प्रदर्श क–10, आरोप पत्र प्रदर्श क–11, एफ0 आई0 आर0 प्रदर्श क–12, कायमी जी0 डी0 प्रदर्श क–13)

8– अभियुक्त मुंशी लाल का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा घटना को गलत एवं झूंठा बयान दिया जाना कहा है। अतिरिक्त कथन में कहा है कि वह निर्दोष है। उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। गवाहों ने रंजिशन झूठा व गलत बयान दिया है।

9– अभियुक्त पक्ष की तरफ से अपनी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य/सफाई में डी0 डब्लू01 रामपाल, डी0 डब्लू02 हनुमान सिंह व डी0डब्लू03 भूपाल सिंह को परीक्षित कराया गया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में सूची 83ए से अपराध संख्या 459/2016 धारा 323, 324, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3 (1) (X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की प्रमाणित प्रति दाखिल किया है।

10– अभियोजन पक्ष की तरफ से, अपने उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार, पर, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा, पत्रावली पर उपलब्ध कराए गए समस्त दस्तावेजी साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण की मौखिक साक्ष्य से अभियोजन पक्ष की सम्पूर्ण घटना कहानी और अभियुक्त पर लगाये गये प्रश्नगत आरोप, युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध है। ऐसी परिस्थिति में, अभियोजन पक्ष की

तरफ से, अभियुक्त को, प्रश्नगत आरोपित आरोप में, दोषसिद्ध करते हुए, दण्डित किए जाने की मांग की गई है।

11– अभियुक्त की तरफ से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा, अभियोजन पक्ष के उपरोक्त तर्को का खण्डन करते हुए, दौरान बहस, मुख्य रूप से इस आशय का तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त को रंजिशन गलत एवं झूठा फंसाया गया है तथा अभियुक्त निर्दोष है और प्रस्तुत मामले की विवेचना निष्पक्ष एवं विधिसम्मत् न होकर, पक्षपातपूर्ण, दूषित, एवं त्रुटिपूर्ण है। अभियोजन साक्षीगण के कथन स्वाभाविक एवं नैसर्गिक नहीं है तथा अभियोजन साक्षीगण के कथनों में गंभीर विरोधाभाष है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में समस्त अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन पक्ष की सम्पूर्ण घटना कहानी एवं अभियुक्त पर लगाये गये प्रश्नगत आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध नहीं है। तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मृतका ने आत्महत्या की थी। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि मृतका के पति की पूर्व में कई वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर में पांच महीने का गर्भ पाया गया है। इसी आत्मग्लानि के कारण मृतका द्वारा स्वयं आत्महत्या की गयी और अभियुक्त को रंजिशन फंसाया गया। तर्क प्रस्तुत किया गया कि साक्षीगण के बयानों में यह आया है कि मृतका का शव जिस कमरे में बरामद हुआ उसका दरवाजा अन्दर से बन्द था इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा अन्दर से बन्द कमरे में मृतका की हत्या किया जाना सम्भव नहीं है। तर्क प्रस्तुत किया गया सम्पूर्ण अभियोजन कथानक असत्य है। अभियुक्त प्रश्नगत आरोपित आरोप में दोषमुक्त होने योग्य है ।

12– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध कराए गए समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

13– प्रस्तुत मामले में पेश किये गये तर्क के आलोक में यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को, पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त सन्देह से परे, सिद्ध कर सका है।

14क– अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू० 1** वादी मुकदमा **राकेश कुमार वर्मा** पुत्र चेतराम वर्मा को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि घटना आज से 3 वर्ष पहले की है। उसके गांव के केश कुमार की मौत आज से 10–11 साल पहले हो चुकी है। जब केश कुमार की मौत हुयी थी तो

उनकी पत्नी अंजनी अपनी लड़की श्वेता और पुत्र अनूप के साथ घर में रहती थी। केश कुमार के बपंश की जमीन अंजनी की ननद अन्जना व अन्जनी दोनों के नाम हो गयी थी और इस पैतृक जमीन को लेकर अंजना व अंजनी दोनों के नाम हो गयी थी और इस पैतृक जमीन को लेकर अंजना व अंजनी के बीच विवाद शुरू हो गया है। इसी विवाद के कारण अंजना अपनी बहन गुड़िया के घर रहने लगी। होली से एक दिन पहले अंजना राम भरोसे के घर त्यौहार करने आयी थी और रात में अंजना पर किसी ने हमला किया और उसे मारा पीटा। इसी विवाद व जमीन रंजिश को लेकर घटना वाली रात करीब साढ़े बारह बजे राम भरोसे व उनके लड़के मुंशीलाल तथा ननके, अंजनी के घर गये और उसे मारा पीटा तथा वापस चले गये। इस मार पीट में चोट खाने व आत्म ग्लानि के कारण अंजनी पत्नी केश कुमार ने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली। घटना की अगली सुबह लोगों ने उसकी लाश निकाल कर आंगन में रखा। वह भी मौके पर गया था। चूंकि वह उस ग्राम का पूर्व प्रधान था और मृतका के परिवार में कोई सूचना देने वाला व्यक्ति नहीं था। इसलिये उसने तहरीर लिखकर थाने पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस मौके पर आयी और पंचायतनामा करके लाश को पोस्टमार्टम हेतु ले गयी। शामिल पत्रावली तहरीर उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है साबित करता है इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। पुलिस ने शव का पंचनामा उसके सामने किया था जिसमें राय पंचान में वह भी था और पंचनामा की लिखा पढ़ी के बाद दरोगा जी ने उसका भी हस्ताक्षर बनवाया था। शामिल पत्रावली पंचनामा कागज संख्या ए–7/1 व ए–7/2 पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की और इस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। घटना के सम्बन्ध में विवेचक ने उसका बयान लिया था।

14–ख बचाव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना किस तारीख की है। उसे याद नहीं है। लेकिन वर्ष 2016 की है। जिस दिन की घटना है उस दिन कितने मुकदमा दर्ज हुये थे। उसे मालूम नहीं है इस मुकदमा में जो मृतक अंजनी है उससे अंजना के बीच जमीन का विवाद था। घटना के दिन से एक दिन पहले अंजना होली का त्योहार करने महरौली गांव आयी थी। रात को साढ़े 12 बजे अंजना को मारा पीटा गया था। अंजना दवा कराने गयी। अंजना के साथ दवा कराने मुंशीलाल और गांव के अन्य लोग गये थे। राम भरोसे भी गये थे। अंजना के मार पीट के समय वह मौके पर मौजूद नहीं था। अंजना को किसने मारा उसे मालूम नहीं है। अंजना ने किसके विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया वह ये भी नहीं जानता हैं। अंजना के मार पीट का मुकदमा किस दिन कितने बजे हुआ वह नहीं बता

सकता है। अंजनी मृतक की मार पीट कब हुयी कितने बजे हुयी वह नहीं जानता। अंजनी के मार पीट की घटना की जानकारी लगभग 1 बजे रात को हुयी। अंजनी मृतक का मुकदमा सुबह 8.30 बजे दर्ज कराया था। रात में 12–12.30 बजे वह मरी नहीं थी। उसके मरने की जानकारी सुबह 6–6.30 गांव वालों के बताने के अनुसार उसे हुयी थी। जब उसे 6–6.30 जानकारी हुई तब वह अंजनी के घर गया। गांव वालों के साथ देखा कि दरवाजा बंद था। उसने थाना इकौना के थानाध्यक्ष को फोन किया। थानाध्यक्ष के मौखिक आदेश पर गांव वालों के साथ उसने दरवाजा तोड़वाया । अंजनी मृतका फांसी लगायी थी और अंजनी की लाश छत के कुंडा पर लटक रही थी। उन लोगों ने पुलिस के आने के बाद लाश को उतरवाया। अंजनी ने फांसी लगाकर जान दिया था। रात में विवाद हुआ था। किसलिये फांसी लगायी थी उसे मालूम नहीं हैं झगड़ा ननद अंजना व मृतका अंजनी के बीच हुआ था। अंजनी मृतक का विवाद जमीन को लेकर राम भरोसे, मुंशी लाल के बीच नहीं चल रहा था। अंजनी के मार पीट के बाद दवा कराने के लिये कोई नहीं ले गया था। घटना के समय अंजनी ने अपनी कुछ जमीन केसरी वर्मा को दिया था और कुछ जमीन पर स्वयं खेती कर रही थी। अंजना अपने जीजा के यहां रहती थी। खेती नहीं कराती थी। घटनास्थल से उसका घर काफी दूरी पर है। घटनास्थल व उसके घर के बीच 10–12 घर पड़ते हैं। घटनास्थल के अगल बगल कुर्मी व ठाकुर विरादरी के लोगों के घर पड़ते है। वह मार पीट के समय मौके पर नहीं था। लेकिन लोगों के कहने पर उसने रामभरोसे, मुंशीलाल व ननके के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया था। अंजना द्वारा मुकदमा कब दर्ज कराया गया। उसे नहीं मालूम हैं बाद में मालूम हुआ कि मार पीट का मुकदमा केसरी वर्मा के विरूद्ध दर्ज कराया था। केसरी वर्मा जेल गये थे। केसरी वर्मा उसके गांव के निवासी है। पूछा गया कि केसरी वर्मा रिश्ते में क्या लगते है तो केसरी वर्मा रिश्ते में उसके कुछ नहीं लगते है। केवल विरादरी है। घटना के समय उसके बड़े भाई प्रधान थे। घटना के पूर्व वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक वह प्रधान रहा था। अंजनी घटना के समय गर्भवती थी या नहीं उसे नहीं पता है। घटना के सात आठ साल पहले उसके पति का देहान्त हो गया था। पति के मरने के बाद अंजनी ने विवाह नहीं किया था। मृतक अंजनी व अंजना के जमीन का कोई भी हिस्सा राम भरोसे , मुंशी लाल ने न कभी जोता है न कभी मतलब रहा है जिस कमरे में अंजली मरी थी उस कमरे में निकास का रास्ता दूसरा नहीं था। कमरे में एक ही निकास का रास्ता था जो बन्द था। जो अन्दर से बन्द था। हम लोगों ने दरवाजा तोड़कर लाश निकाल पाया था। अंजनी

मृतक की हत्या नहीं की थी बल्कि फांसी लगाकर आत्महत्या की थी यही बात सही है। यह कहना सही है कि राम भरोसे, मुंशीलाल व ननके ने मृतक अंजनी की हत्या नहीं किये है। यह कहना सही है कि गांव वालों के सूचना पर वह घटनास्थल पर पहुंचा, गांव वालों के बताने के अनुसार उसने घटना की सूचना थाने पर लिखित तहरी देकर दर्ज कराया था। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान अंजना को लेकर घटना के समय दवा कराने इकौना अस्पताल लेकर चले गये थे। यह कहना सही है कि मुल्जिमान राम भरोसे, मुंशी लाल व ननके निर्दोष है अंजनी फांसी लगाकर मरी थी। यह कहना सही है कि जो आज बयान दे रहा है वह सही है।

यह साक्षी ग्राम महरौली का पूर्व ग्राम प्रधान था। इस साक्षी द्वारा मामले से सम्बन्धित तहरीर थाना इकौना में दी गयी है तथा इसके द्वारा तहरीर को **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया है तथा पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर की पहचान करते हुए उसे **प्रदर्श क–2** के रूप में साबित किया है।

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्को के आलोक में इस साक्षी की साक्ष्य की विस्तृत विवेचना निर्णय में आगे यथोचित स्थान पर की जायेगी।

15क– अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–2 श्वेता** पुत्री केशकुमारी, सा0 महरौली, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती को परीक्षित कराया गया है। उल्लेखनीय है कि पी0 डब्ल्यू0 2 श्वेता मृतका अंजनी की पुत्री है, जिसने **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि घटना छः साल पहले की है उसके बाबा राम भरोसे के घर की ओर शोरगुल की आवाज हुयी। उसकी बुआ अंजना होली का त्यौहार करने दो दिन पहले आयी थी, शोर की आवाज सुनकर वह और उसकी मम्मी अंजनी और उसका छोटा भाई अनूप दरवाजा खोलकर अपने दरवाजे पर बाहर निकले वैसे ही उसके बाबा राम भरोसे, चाचा मुंशी लाल व छोटे चाचा ननके और बड़े फूफा पप्पू उसकी मम्मी अंजनी को डण्डा से मारने लगे और उसकी मम्मी को रस्सी से बांधकर लटका दिये। वह और उसका छोटा भाई अनूप मम्मी–मम्मी चिल्ला रहे थे और दरवाजे पर रो रहे थे। चांदनी रात थी उन लोगों ने यह घटना अपनी आंखों से देखा था। यह घटना जमीन को लेकर हुयी थी। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

15 ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना के समय उसकी उम्र दस बारह साल की थी। घटना की तारीख नहीं बता पाऊंगी। समय रात का 12–01 बजे का था। मार पीट उसके दरवाजे के सामने हुयी थी। वह दिशा नहीं जानती है। इसलिये वह यह नहीं बता पायेगी कि

मार पीट के स्थान के पूरब, पश्चिम, उत्तर दक्षिण दिशा में क्या है लेकिन यह बता सकती हूं कि एक तरफ एक कुर्मी का मकान है केसरी वर्मा है जिनका मकान उसके घर के बगल, उसके घर के बगल कर्ताराम व जगजीवन का मकान बना है। दरोगा जी आये थे उससे पूछताछ किये थे दरोगा जी सुबह सात आठ बजे आये थे उसके बाद फिर दरोगा जी नहीं आये और उस पूछताछ के बाद फिर दुबारा उसका कोई बयान नहीं लिया। बुआ को उसने कोई चोट नहीं देखी थी न ही बुआ अंजना को किसी के द्वारा मारे पीटे जाते ही देखा था। अंजना ने कोई मुकदमा लिखाया था कि नहीं वह नहीं जानती। जिस दिन उसकी मां मरी उसी दिन उसकी नानी आयी थी और शाम को उसे व उसके भाई को अपने साथ ले आयी थी। उसकी मां का राम भरोसे से कोई जमीन का मुकदमा नहीं चल रहा था जमीन का मुकदमा अंजना से चल रहा था। उसकी मां अपने जीवन काल में अपनी खेती केसरी वर्मा को बंटाई पर दिया था आज भी केसरी वर्मा है। इस खेत को जोतते बोते है। अंजना ने अपना सारा खेत बेच दिया है। थोड़ा खेत केवलपुर के जीजा लिये है शेष खेत गांव के अन्य लोग लिये है। राम भरोसे नहीं लिये है। उसकी मम्मी जब मरी है तब रिपोर्ट लिखाने वह व उसके परिवार के लोग नहीं गये थे उस समय के प्रधान राकेश वर्मा एफ0आई0आर0 लिखाने गये थे। राकेश वर्मा जब एफ0आई0आर0 लिखाने गये थे तब उससे कोई पूछतांछ नहीं किया था। साक्षी को उसका 161 सीआर0पी0सी0 का बयान पढ़कर सुनाया गया साक्षी से पूछा गया कि बयान 161 सीआर0पी0सी0 में अंकित बात सही है या न्यायालय पर जो सशपथ बयान दिया है वह सही है तो साक्षी ने कहा कि उसने न्यायालय पर जो सशपथ बयान दिया है वह सही हैं उसने न्यायालय को दिये गये बयान में जो पप्पू का नाम लिखाया है वह किसी के कहने पर नहीं लिखाया है बल्कि पप्पू उस समय वहां पर थे। राम भरोसे डण्डा लिये थे, ननके उसकी मां का बाल पकड़कर लात से मार रहे थे, मुंशीलाल व पप्पू डण्डा लिये थे। चारों लोग ने मार पीटकर उसकी मां को टांग दिया उस समय रात का 12–01 बज रहा था। मौके पर औरतें व एक दो आदमी और थे उन औरतों व आदमियों का नाम नहीं बता पाउंगी। वह घटना के बाद किसी को बुलाने नहीं गयी बल्कि एक बूढे बाबा के भुसैला में अपने भाई के साथ छुप गयी। उसकी मम्मी की लाश सुबह सात आठ बजे उतारी गयी अन्दर का दरवाजा बंद था। लेकिन मम्मी जिस कमरे में लटकी थी वह खुला था। उसकी मां को चोट हाथ, पैर व गर्दन में थी। खोपड़ी फूट गयी थी सिर से खून निकल रहा था। उसकी बुआ अंजनी ने दूसरी शादी कर ली है लेकिन कहां रहती है उसे नहीं मालूम। दिनांक 22.08.2022

को उसका जो बयान हुआ था वह उसे किसी ने बताया नहीं था बल्कि जो उसकी जानकारी में था वह उसने बयान दिया था। उसकी आराजी की खेती करके केसरी वर्मा छमाही पर उसके नानी को उसके घर दे जाते हैं उसकी जानकारी में उसकी जमीन राम भरोसे बाबा कभी जोते बोये नहीं है। मम्मी के मरने के बाद वह गांव दो तीन बार गयी है। उसके मामा भी कभी खेत पात देखने नहीं गये। उसकी मम्मी के गले में रस्सी लगी थी जो सफेद रंग की थी रस्सी तीन चार हाथ लम्बी थी। रस्सी प्रधान की उपस्थिति में गांव वालों ने खोली थी। उसके पिता जब मरे उसका भाई पेट में था व वह बकइया चल रही थी, कितने साल की थी, नहीं बता पाउंगी। यह कहना गलत है कि उसने कोई घटना नहीं देखी और लोगों के बताने पर झूठा बयान दे रही है। यह कहना भी गलत होगा कि उसकी मां को बाबा राम भरोसे, चाचा मुंशीलाल व ननके ने मारा पीटा नहीं था बल्कि मां ने स्वयं आत्म हत्या कर ली हो। यह कहना गलत है कि घटना वाले दिन अंजना मारी गयी थी जिसका मुकदमा लिखाने राम भरोसे व चाचा लोग साथ चले गये थे जिसका मुकदमा उसकी मां व केसरी वर्मा के विरूद्ध थाना इकौना में दर्ज हुआ था इसी रंजिश से यह झूठा मुकदमा राम भरोसे व उनके लड़कों के विरूद्ध दर्ज करवा दिया।

यह साक्षी मृतका की पुत्री है तथा घटना की चश्मदीद साक्षी है। इसके द्वारा घटना को अपनी आंखों से देखा जाना कहा गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि शोर की आवाज सुनकर वह और उसकी मम्मी अंजनी और उसका छोटा भाई अनूप दरवाजा खोलकर अपने दरवाजे पर बाहर निकले वैसे ही उसके बाबा राम भरोसे, चाचा मुंशीलाल व छोटे चाचा ननके और बड़े फूफा पप्पू उसकी मम्मी अंजनी को डण्डा से मारने लगे और उसकी मम्मी को रस्सी से बांधकर लटका दिये। वह और उसका छोटा भाई अनूप मम्मी–मम्मी चिल्ला रहे थे और दरवाजे पर रो रहे थे। चांदनी रात थी उन लोगों ने यह घटना अपनी आंखों से देखा था। यह घटना जमीन को लेकर हुयी थी। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में कहा है कि रामभरोसे डंडा लिये थे, ननके उसकी मॉ का बाल पकड़कर लात से मार रहे थे, मुंशी लाल व पप्पू डंडा लिये थे, मुंशी लाल व पप्पू डंडा से मारे थे। चारों लोग ने मारपीट कर उसकी मॉ को टांग दिया उस समय रात का 12–01 बज रहा था। इस साक्षी ने आगे प्रति परीक्षा में कहा है कि वह घटना के बाद किसी को बुलाने नहीं गयी बल्कि एक बूढ़े बाबा के भुसैला में अपने भाई के साथ छुप गयी। उसकी मम्मी की लाश सुबह सात आठ बजे उतारी गयी। अन्दर का दरवाजा बंद था लेकिन मम्मी जिस कमरे में लटकी थी वह

खुला था। उसकी मॉ को चोट, हाथ, पैर व गर्दन में थी। खोपड़ी फूट गयी थी तो सिर से खून निकल रहा था।

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्को के आलोक में इस साक्षी की साक्ष्य की विस्तृत विवेचना निर्णय में आगे यथोचित स्थान पर की जायेगी।

16क– अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–3 अनूप कुमार** को परीक्षित कराया गया है जो मृतका का पुत्र है तथा घटना के समय एवं न्यायालय में बयान दिये जाते समय अवयस्क था, न्यायालय में बयान दिये जाने के पूर्व तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा साक्षी की मानसिक स्थिति और साक्ष्य देने की क्षमता के संबंध में प्रश्न पूछे गये और साक्षी को साक्ष्य देने हेतु समर्थ पाते हुए साक्षी का बयान अंकित किया गया।

साक्षी पी0 डब्ल्यू0 3 अनूप कुमार ने **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि घटना दिनांक 27.03.2016 की है। रात का समय था। उसके बाबा राम भरोसे के घर की तरफ शोरगुल हो रहा था। उसकी बुआ अंजना होली का त्यौहार करने दो दिन पहले आयी थी। शोरगुल सुनकर वह और उसकी बहन श्वेता उसकी मम्मी अंजनी दरवाजा खोलकर अपने घर के बाहर आये वैसे ही उसके बाबा राम भरोसे तथा उसके चाचा मुंशीलाल और छोटे चाचा ननके उसकी मम्मी अंजनी को मारने लगे तथा रस्सी गले से बांध कर लटका दिया। वे लोग मम्मी–मम्मी चिल्लाने लगे और रो रहे थे तथा दरवाजे के पास डर के मारे छिप रहे थे। रात उजाली थी। सारी घटना उसने अपनी आंखों से देखा था। ये घटना जमीन को लेकर हुयी थी। उसके पिता केश कुमार की मृत्यु घटना के पहले ही हो चुकी थी। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। शोरगुल जो हो रहा था वह उसके बाबा और उसकी बुआ अंजना से कहा सुनी हो रहीं थी।

16ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि उसकी जन्मतिथि 01.01.2006 है। वह कक्षा 6 में पढ़ रहा है। जब उसकी मां मरी है तब वह स्कूल जाता था, पर पढ़ता नहीं था। वह श्वेता अपनी बहन से कितने साल छोटा है वह नहीं बता सकता है। उसके पिता जी कब मरे वह नहीं जानता है। लोगों के कहने पर वह जानता है कि वह पेट में दो महीने का था तब उसके पिता जी मरे थे। उसकी मां से किसी का खेत का मुकदमा नहीं चल रहा था। उसने अपने मां के नाम की जमीन महरौली गांव के लोगों को बटाई पर दे रखा हैं कौन–कौन लोग लिये है नाम नहीं बता सकता। उसकी जमीन जायदाद राम भरोसे,

मुल्जिम मुंशीलाल, मुल्जिम ननके नहीं लिये हैं आज से पहले भी नहीं लिये थे जिस मुकदमें में वह गवाही देने आया है उस मुकदमें की रिपोर्ट दरोगा जी ने लिखाया था। रिपोर्ट लिखाते समय वह गया था कि नहीं याद नहीं है। उसकी बहन श्वेता रिपोर्ट लिखाने गयी थी। उसे घटना की तारीख याद नहीं है। जब उसकी मां मरी है तब वह नौ साल का था। मुकदमा लिखा गया था उसे याद है। मुकदमा राम भरोसे, मुंशीलाल और ननके के विरूद्ध लिखा गया था। तीनों लोग राम भरोसे, मुंशीलाल व ननके ने उसकी मां को लाठी डण्डा से मारा था। तब वह मां–मां करके रो रहा था जब उसकी मां मरी है तब वहां मौके पर कोई नहीं था और जब मार पीट हुयी तब भी कोई मौके पर नहीं था। अंजना उसकी बुआ है जिस दिन उसकी मां मरी थी उस दिन उसकी बुआ अंजना भी मारी पीटी गयी थी। अंजना को किसी ने मारा नहीं था अंजना ने अपने ऊपर खुद से चोट लगायी थी। घटना की रिपोर्ट किस तारीख को कितने बजे लिखी गयी थी उसे पता नहीं है। उसकी नानी ने मुकदमा दर्ज कराया था। आज वह गवाही देने नानी के साथ आया है। उसका महरौली का खेत केसरी वर्मा जोते–बोते हैं और सारा गल्ला व रूपया उसके घर ले जाकर पहुंचा देते हैं वह महरौली लगभग तीन साल पहले गया था। वह तीन साल पहले टहलने गया था। उसकी मां मारने से मरी हैं जब पुलिस घटना के बाद आयी थी तब उसकी मां को छत से लटका हुआ पाया था। जहां उसकी मां लटकी थी अन्दर से दरवाजा बन्द था। दरवाजा तोड़कर लाश निकाली गयी थी जब उसकी मां मरी थी तब उसने दरोगा जी को बयान दिया था। क्या बयान दिया था वह बता नहीं सकता भूल गया है। उसकी मां व मुल्जिम मुंशीलाल, राम भरोसे व ननके से जमीन को लेकर रंजिश थी। एक दो बार झगड़ा हुआ था। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था उसे नहीं पता। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था कि नहीं इस समय उसे याद नहीं। गवाह को धारा 161 सीआर0पी0सी0 का बयान पढ़कर सुनाया गया गवाह ने कहा ये बयान उसने दरोगा जी को नहीं दिया था कैसे लिख लिया बता नहीं सकता। उसकी मां जब थी तब ट्रैक्टर से खेती कराती थी जिसका मिल जाता था उससे कराती थी। वह आज गवाही देने आया है। सम्मन नोटिस गयी थी कि नहीं ये सब मौसा जी जाने। इस मुकदमें में पप्पू कोई मुल्जिम नहीं थे वह आज बयान देने आया है तो जो उसे याद था वही बताया है उसकी मां जहां मरी है घटनास्थल के दक्षिण में उसका घर, पूरब में रोड, दक्षिण की तरफ हाता था। उत्तर में रोड था तथा पश्चिम में सबके घर बने हैं उसके घर के उत्तर में किसका घर है उसे नहीं पता। उसके घर के दक्षिण उसकी आजी

रहती थी जिनका नाम भूरी था। पूरब किसका मकान है उसे नहीं पता पश्चिम में किसका मकान है उसे नहीं पता। यह कहना गलत है कि उसने कोई घटना नहीं देखी है लोगों के कहने पर झूठी गवाही दे रहा है यह कहना भी गलत है कि मां को राम भरोसे, मुंशीलाल व ननके ने मारा पीटा नहीं था। यह कहना गलत है कि घटना के समय अभियुक्तगण राम भरोसे, मुंशीलाल व ननके उसकी बुआ अंजना को लेकर इकौना चले गये थे। जो मुकदमा अंजना ने दर्ज कराया था वह उसकी मां अंजनी व केसरी वर्मा के खिलाफ दर्ज हुआ था। यह कहना गलत है कि वह केसरी वर्मा व गांव वालों के कहने पर झूठी गवाही दे रहा है।

यह साक्षी मृतका का पुत्र है तथा घटना का चश्मदीद साक्षी है। इसके द्वारा घटना को अपनी आंखों से देखा जाना कहा गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 27.03.2016 की है। रात का समय था। उसके बाबा राम भरोसे के घर की तरफ शोरगुल हो रहा था। उसकी बुआ अंजना होली का त्यौहार करने दो दिन पहले आयी थी। शोरगुल सुनकर वह और उसकी बहन श्वेता उसकी मम्मी अंजनी दरवाजा खोलकर अपने घर के बाहर आये वैसे ही उसके बाबा राम भरोसे तथा उसके चाचा मुंशीलाल और छोटे चाचा ननके उसकी मम्मी अंजनी को मारने लगे तथा रस्सी गले से बांध कर लटका दिया। प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि उसकी मॉ मारने से मरी हैं जब पुलिस घटना के बाद आयी थी तब उसकी मॉ को छत से लटका हुआ पाया था। इस साक्षी ने आगे प्रति परीक्षा में कहा है कि उसकी मॉ व मुल्जिम मुंशी लाल, रामभरोसे व ननके से जमीन को लेकर रंजिश थी।

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्को के आलोक में इस साक्षी की साक्ष्य की विस्तृत विवेचना निर्णय में आगे यथोचित स्थान पर की जायेगी।

17क– अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–4 कर्ताराम** को परीक्षित कराया गया है जिसने **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि घटना आज से करीब छः सात साल पहले होली के त्यौहार की है। केश कुमार उसके गांव में बगल के रहने वाले हैं। केश कुमार की मृत्यु लगभग ग्यारह–बारह साल पहले हो गयी थी। केश कुमार की पैतृक जमीन अंजना और अंजनी दोनों के नाम हो गयी थी और अंजनी की ननद अंजना है। अंजना और अंजनी के बीच इसी जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया इसी विवाद के कारण अंजना अपनी बहन गुड़िया के घर रहने लगी। होली से एक दिन पहले अंजना राम भरोसे के घर त्यौहार करने आयी थी और अंजना के ऊपर रात में किसी ने हमला कर दिया। राम भरोसे और उनके लड़के मुंशीलाल तथा

ननके ने भी उसे मारा पीटा था इस कारण आत्म ग्लानि से तथा राम भरोसे और उनके लड़के मुंशीलाल और ननके ने उसे फांसी लगाकर लटका दिया और अगली सुबह जब वे लोग वहां मौके पर पहुंचे तो उसकी लाश आंगन में रखी हुयी थी। पुलिस वाले मौके पर आ गये थे अंजनी के घर में कोई नहीं था छोटे–छोटे बच्चे थे इस कारण उसकी मृत्यु की घटना की सूचना गांव के पूर्व प्रधान राकेश कुमार वर्मा ने लिखकर थाने में दिया था। उन लोगों से भी पुलिस वालों ने पूछतांछ किया था मृतका अंजनी के एक लड़का अनूप और एक लड़की श्वेता थी। दोनों मम्मी–मम्मी करके रो चिल्ला रहे थे।

17ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति परीक्षा किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना आज से लगभग 6–7 वर्ष पहले की है। तारीख उसे याद नहीं है। होली का समय था। उसके घर से मृतका अंजनी के घर की दूरी एक घर बीच की है। पुलिस आयी थी लाश आंगन में पड़ी हुयी थी तब वह मौके पर पहुंचा तो उसे वहां घटना के बारे में जानकारी हुयी। यह पूछे जाने पर कि कभी अंजना और अंजनी के बीच मार पीट होने की आपको जानकारी है तो साक्षी ने कहा कि उसने कभी अंजना और अंजनी के बीच मार पीट होते नहीं देखा। इस घटना के पूर्व अंजनी के पति की मृत्यु हो चुकी थी। जिस कमरे में अंजनी की लाश फांसी से लटकी हुयी मिली थी उस कमरे को उसने नहीं देखा था। घटना लगभग आठ दस साल पहले की है। घटना के समय ग्राम प्रधान राकेश वर्मा थे। थाने पर दरख्वास्त किसने दिया था यह वह नहीं जानता, राकेश वर्मा ने थाने पर फोन से सूचना दिया था। मृतका अंजनी व उसकी ननद अंजना में जमीनी रंजिश चल रही थी। घटना की जानकारी उसे अगले दिन सुबह गांव में हल्ला होने पर हुयी। मृतका अंजनी से उसका घर दो घर के बाद है। वह केश कुमार को जानता है केश कुमार के पिता जी की मृत्यु हुये तीस चालीस साल हो गये वे लोग काफी छोटे–छोटे थे। इस घटना के कितने साल पहले केश कुमार के पिता की मृत्यु हुयी वह नहीं बता पायेगा। इस घटना से कितने साल पहले केश कुमार की मृत्यु हुयी नहीं बता पायेगा। मृतका अंजनी अपनी जमीन कई लोगों को बटाई के लिये दे रखी थी कुछ जमीन पर वह खुद खेती करती थी केसरी कुर्मी को वह जानता है केसरी कुर्मी व अंजना के बीच कोई मुकदमा चला था कि नहीं वह नहीं बता पायेगा। केसरी कुर्मी मृतका अंजनी की जमीन बटाई पर नहीं लिये थे अब बटाई पर खेत लिये है। मृतका अंजनी के राम भरोसे रिश्ते में ससुर लगते थे। जिस कमरे में मृतका फांसी लगाकर मरी वह कमरा उसने देखा था। वह जब कमरे में गया उस समय कमरे का दरवाजा खुला था, कमरे में पुलिस वाले व गांव

वाले मौजूद थे। अंजनी देवी के घर के उत्तर लीक (कच्ची सड़क) है। मृतका की ननद अंजना की शादी हुयी कि नहीं वह नहीं जानता। घटना की जानकारी उसे सुबह लगभग 6–7 बजे हुयी। पुलिस लगभग आधे घंटे बाद आ गयी थी। वह पढ़ा लिखा नहीं है महरौली के ननकऊ सिंह का कत्ल हुआ था यह वह जानता है उसमें लगभग आठ लोग फंसे थे मृतका अंजनी को एक लड़का था। राम भरोसे, मुंशी के घर से उसका घर लगभग दस मीटर दूर था। घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने उससे पूंछताछ नहीं किया था। दरोगा जी ने उसके घर पर आकर उससे कोई पूछतांछ नहीं की थी। यह कहना गलत है कि उसने कोई घटना नहीं देखी और वादी से मिलकर झूठी गवाही दे रहा है। यह कहना गलत है कि मुंशीलाल से उसका जमीनी झगड़ा चल रहा है जिसके कारण उसके विरूद्ध झूठी गवाही दे रहा है। यह कहना गलत है कि मुंशी लाल से उसकी जमीनी झगड़ा चल रहा है जिसके कारण उसके विरूद्ध झूठी गवाही दे रहा है।

यह साक्षी मृतका के बगल का रहने वाला है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि केश कुमार उसके गांव में बगल के रहने वाले हैं। केश कुमार की मृत्यु लगभग ग्यारह–बारह साल पहले हो गयी थी। केश कुमार की पैतृक जमीन अंजना और अंजनी दोनों के नाम हो गयी थी और अंजनी की ननद अंजना है। अंजना और अंजनी के बीच इसी जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया इसी विवाद के कारण अंजना अपनी बहन गुड़िया के घर रहने लगी। होली से एक दिन पहले अंजना राम भरोसे के घर त्यौहार करने आयी थी और अंजना के ऊपर रात में किसी ने हमला कर दिया। राम भरोसे और उनके लड़के मुंशीलाल तथा ननके ने भी उसे मारा पीटा था इस कारण आत्म ग्लानि से तथा राम भरोसे और उनके लड़के मुंशीलाल और ननके ने उसे फांसी लगाकर लटका दिया और अगली सुबह जब वे लोग वहां मौके पर पहुंचे तो उसकी लाश आंगन में रखी हुयी थी। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि मृतका अंजनी व उसकी ननद अंजना में जमीनी रंजिश चल रही थी। मृतका अंजनी के रामभरोसे रिश्ते में ससुर लगते थे। जिस कमरे में मृतका फांसी लगा कर मरी वह कमरा उसने देखा था। वह जब कमरे में गया उस समय कमरे का दरवाजा खुला था, कमरे में पुलिस वाले व गांव वाले मौजूद थे। इस साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने कोई घटना नहीं देखी और वादी से मिलकर झूठी गवाही दे रहा है।

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्को के आलोक में इस साक्षी की साक्ष्य की

विस्तृत विवेचना निर्णय में आगे यथोचित स्थान पर की जायेगी।

18क– अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–5 डा0 अजय गौतम** को परीक्षित कराया गया है जिसने **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि दिनांक 27.03.2016 को वह संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा जनपद श्रावस्ती में आकस्मिक चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन उसकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस भिनगा में लगी थी। उस दिन उसने मृतका अंजनी उम्र 35 वर्ष पत्नी केश कुमार निवासी ग्राम महरौली थाना इकौना जनपद श्रावस्ती के शव का पोस्टमार्टम किया था जिसे उसके समक्ष पोस्टमार्टम हेतु कां0 जगदीश यादव व रमाशंकर थाना इकौना जनपद श्रावस्ती द्वारा लाया गया था।

<u>वाह्य परीक्षण–</u>

मृतका की लम्बाई 150 सेमी0, शरीर की बनावट औसत थी। मृतका के शरीर पर मृत्यु पश्चात अकड़न शरीर के ऊपरी भाग में नहीं थी, शरीर के निचले भाग में थी। दोनों आंखे बन्द थीं, मुंह थोड़ा खुला हुआ था, जीभ थोड़ी बाहर थी।

<u>मृतका के शरीर पर निम्न मृत्यु पूर्व चोटे पायी गयीं–</u>

1. Left Arm deformity fracture of shaft humerous.
2. Abrasion of 1x0.5c.m on dorsal Aspect of right forearm 8 cm above right wrist joint.
3. Contusion of 20x1 c.m. mid back to low back area 3 c.m from ASIS.
4. Contused swelling of 9x8 c.m on anterior aspect of left knee joint.
5. Ligature Mark reddish brown in colour 22x1 cm. Around the neck interrupted 1cm. At nape of neck 6cm. From right ear lobule, 3cm. From left ear lobule and 7cm. From chin.
6- Lacerated wound of 3x0.5cm bone deep present on left parietal head 7cm from left ear pinna.

<u>आन्तरिक परीक्षण–</u>

मस्तिष्क व मस्तिष्क की झिल्लियां कन्जेस्टेड पायी गयीं। श्वास नली में hyoid bine फ्रैक्चर पाया गया। ट्रैकिया एण्ड लंग्स कन्जेस्टेड थे। हृदय में दाहिना चेम्बर

थोड़ा भरा हुआ था बायां साइड खाली था। पेट में लगभग 100 ml अधपचा खाद्य पदार्थ पाया गया। लीवर व स्पलीन कन्जेस्टेड था तथा दोनों किडनी कन्जेस्टेड थी। मूत्राशय खाली था। मृतका के Uterus में लगभग 4–5 महीने का male Feotus पाया गया।

मृत्यु का सम्भावित समयलगभग 12 से 24 घंटे के भीतर था।

मृत्यु का सम्भावित कारण Due to Asphyxia as a result of Antemortem Strengulation था। सभी चोटे मृत्यु पूर्व की थीं तथा मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थीं। चोटें स्वयं कारित नहीं की जा सकती थी। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–8 पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर कहा कि ये उसके हस्तलेख में है जिस पर उसका हस्ताक्षर बना है, जिसे वह प्रमाणित करता है जिस पर **प्रदर्श क–3** अंकित किया गया।

18ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि उसकी तैनाती जिला चिकित्सालय भिनगा जनपद श्रावस्ती में जनवरी 2015 में हुयी थी। पी0 एम0 करने में उसकी अकेले ड्यूटी लगी थी। उसके साथ अन्य कोई डाक्टर तैनात नहीं था। मृतका के शरीर पर लगभग 06 चोटें पायी गयी। मृतका को बाजू, गर्दन, घुटने व अन्य जगह पर चोट थी कुल मिलाकर 06 जगह चोट थी। गला दबाने पर आगे की हड्डी hyoid bone टूटती है। वह हड्डी टूटी हुयी थी। पी0 एम0 रिपोर्ट उसके द्वारा तैयार की गयी थी। पोस्टमार्टम हाउस में मृतका की लाश सील थी। जिसे उसके सामने ही खोला गया था। लाश लगभग 24 घंटे के भीतर की थी। लाश अस्पताल में 3.30 के लगभग आयी थी। 3.45 पर उसने पोस्टमार्टम करना शुरू किया था व 4.15 पर पी0 एम0 पूरा हुआ था मृतका की जीभ थोड़ी बाहर थी। हैंगिंग से भी जीभ बाहर आ सकती है। लाश में बदबू या सड़न नहीं थी। पी0 एम0 उसने दिनांक 27.03.2016 को किया था। मृतका के गले पर लाइगेचर मार्क मिला था। गर्दन पर आयी चोट रस्सी, दुपट्टा अथवा किसी फन्दे से आ सकती है। बाजू की हड्डी जो टूटी थी वो Hard and Blunt Object से हो सकती है। बाजू की हड्डी में फ्रैक्चर था हाथ उठाने पर वह झूल रही थी। गर्दन के पीछे 01 सेमी0 का गैप पाया गया था। विवेचक ने उसका बयान लिया था कब लिया था यह याद नहीं है। पोस्टमार्टम करते वक्त मृतका के पैर सीधी अवस्था में थे। यह कहना गलत है कि मृतका ने आत्महत्या की है और उसके द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार की गयी है।

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्को के आलोक में इस साक्षी की साक्ष्य की विस्तृत विवेचना निर्णय में आगे यथोचित स्थान पर की जायेगी।

इस साक्षी द्वारा मृतका का शव विच्छेदन किया गया था। इस साक्षी ने मृतका की शव विच्छेदन आख्या को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि मृत्यु का सम्भावित कारण Due to Asphyxia as a result of Antemortem Strengulation था। सभी चोटें मृत्यु पूर्व की थीं तथा मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थीं। चोटें स्वयं कारित नहीं की जा सकती थी।इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि मृतका के शरीर पर लगभग 06 चोटें पायी गयी। मृतका को बाजू, गर्दन, घुटने व अन्य जगह पर चोट थी कुल मिलाकर 06 जगह चोट थी। गला दबाने पर आगे की हड्डी hyoid bone टूटती है। वह हड्डी टूटी हुयी थी। इस साक्षी ने आगे प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि बाजू की हड्डी जो टूटी थी वो Hard and Blunt Object से हो सकती है। बाजू की हड्डी में फ्रैक्चर था हाथ उठाने पर वह झूल रही थी। गर्दन के पीछे 01 सेमी0 का गैप पाया गया था।

इस प्रकार इस विशेषज्ञ साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि मृतका की मृत्यु Strangulation के कारण हुई थी। साक्षी के द्वारा यह भी कथन किया गया है कि मृतका की हाइड बोन फ्रैक्चर पायी गयी थी जो स्वीकृत रूप से Strangulation का विशिष्ट लक्षण है। अभियोजन द्वारा मृतका अंजनी की हत्या गला दबाकर किया जाना कहा गया है जो गले में पाये गये लिगेचर मार्क से भी स्पष्ट है।

19क– अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–6 उप निरीक्षक अखिलेश राही** को परीक्षित कराया गया है जिसने **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि दिनांक 27.03.2016 को वह थाना इकौना जनपद श्रावस्ती में उप निरीक्षक के पद पर तैनात था उस दिन मु0अ0स0 460/2016 धारा 323, 306 भा0दं0स0 विरूद्ध राम भरोसे आदि थाना इकौना में पंजीकृत होकर विवेचना उसको प्राप्त हुयी। मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात उसने ग्राम महरौली थाना इकौना जाकर मृतका अंजनी उम्र 35 वर्ष पत्नी केश कुमार, निवासी ग्राम महरौली, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती के शव का पंचायतनामा मौके पर पंचान नियुक्त करके तैयार किया तथा मृत्यु का कारण जानने के लिये पोस्टमार्टम हेतु लाश को मर्चरी हाउस भिनगा भेज दिया था। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न प्रदर्श क–2 पंचायतनामा को देखकर कहा कि यह पंचायतनामा उसके द्वारा तैयार कराया गया था जिस पर उसका हस्ताक्षर बना है जिसे वह प्रमाणित करता है।

साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–9 पुलिस प्रपत्र संख्या 33, कागज संख्या ए–10 फोटोनाश, कागज संख्या बी–13/1 पत्र प्रतिसार निरीक्षक, कागज संख्या बी–13/2 पत्र प्रभारी चिकित्साधिकारी सदर अस्पताल भिनगा कागज संख्या बी–18 चालान नाश को देखकर कहा कि यह प्रपत्र उसके द्वारा तैयार किये गये हैं जिन पर क्रमश **प्रदर्श क–4, प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–6, प्रदर्श क–7** व **प्रदर्श क–8** अंकित किया गया। उसी दिन उसने विवेचना ग्रहण करके पर्चा न01 किता किया, जिसमें अवलोकन नकल चिक, नकल रपट, बयान लेखक एफ0 आई0 आर0 का0 प्रियंका मिश्रा, बयान वादी राकेश कुमार वर्मा अंकित किया तथा मौके से प्राप्त रस्सी जिससे मृतका को लटके होना बताया गया उसे कब्जा पुलिस में लेकर मौके पर फर्द तैयार की तथा चश्मदीद गवाह श्वेता व अनूप कुमार का बयान अंकित किया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या बी–15/1 फर्द बावत लेने कब्जा पुलिस एक अदद रस्सी प्लास्टिक को देखकर कहा की यह फर्द उसके द्वारा तैयार किया गया है जिस पर उसके हस्ताक्षर बने हैं जिसे वह प्रमाणित करता है। जिस पर **प्रदर्श क–9** अंकित किया गया। दिनांक 29.03.2016 को पर्चा न0 2 किता किया, जिसमें अभियुक्तगण राम भरोसे व मुंशीलाल का बयान अंकित किया। दिनांक 30.03.2016 को पर्चा न03 किता किया, जिसमें गवाह कर्ताराम, सूबेदार, राम किशुन, देवबक्श वर्मा का बयान अंकित किया तत्पश्चात वादी मुकदमा व चश्मदीद गवाह श्वेता व अनूप की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके पर नक्शा नजरी तैयार किया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–6 नक्शानजरी को देखकर कहा कि यह प्रपत्र उसके द्वारा तैयार किया गया है जिस पर उसका हस्ताक्षर बना है जिसे वह प्रमाणित करता है। जिस पर **प्रदर्श क–10** अंकित किया गया। दिनांक 02.04.2016 को पर्चा न04 किता किया, जिसमें पंचायतनामा व पी0एम0 रिपोर्ट का अवलोकन कर उसका अंकन सी0डी0 में किया तत्पश्चात पंचायतनामा के गवाह राकेश कुमार, अभय राज, विश्वनाथ, भोला व जानकी प्रसाद का बयान अंकित किया। दिनांक 17.05.2016 को पर्चा न09 किता किया, जिसमें पोस्टमार्टम करने वाले डा0 अजय गौतम का बयान अंकित किया। दिनांक 18.05.2016 को पर्चा न010 किता किया, जिसमें अब तक की तमाम विवेचना, बयान डाक्टर, अवलोकन पी0एम0 रिपोर्ट व अन्य साक्षियों के बयान से मृतका अंजनी की मौत गला दबाने से होना पाये जाने पर मु0अ0स0 460/2016 धारा 323,306 भा0द0स0 से धारा 302 भा0द0स0 में तरमीम किया गया। दिनांक 21.05.2016 को पर्चा न013 किता किया, जिसमें थाना कार्यालय से उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित प्राप्त शपथपत्र व

प्रार्थनापत्र प्राप्त करके शपथ पत्रों का अवलोकन कर सी0डी0 में अंकन किया। दिनांक 03.06.2016 को पर्चा न0 14 किता किया, जिसमें शपथकर्ता सूबेदार, देवबक्श वर्मा, राम किशुन, किशोरीलाल, शिव प्रसाद, गयादीन, सुदामा, राजेशकुमार, रवि प्रकाश सिंह, कैलाश, लाल बहादुर सिंह व रामपाल का बयान अंकित किया। दिनांक 03.06.2016 को उपरोक्त अभियोग जघन्य अपराध होने के कारण विवेचना प्रभारी निरीक्षक हरि सिंह द्वारा ग्रहण की गयी। दिनांक 06.06.2016 को उनके द्वारा पर्चा न0 15 किता किया गया, जिसमें बयान गवाह पवन कुमार व राम बरन वर्मा का बयान अंकित किया गया। दिनांक 12.06.2016 को हरि सिंह द्वारा पर्चा न0 16 किता किया, जिसमें बयान ग्रामवासी देवी प्रसाद अंकित किया गया तथा अब तक की तमाम विवेचना, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, बयान डक्टर के आधार पर अभियुक्त ननके की नामजदगी गलत पायी गयी तथा अभियुक्तगण राम भरोसे व मुंशीलाल के विरूद्ध धारा 302 भा0द0स0 का अपराध बखूबी प्रमाणित पाते हुये अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 123/2016 न्यायालय प्रेषित किया गया।

निरीक्षक हरि सिंह उसके साथ थाना इकौना में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात थे। उसने उनके साथ काम किया है तथा उन्हें लिखने पढ़ते व हस्ताक्षर करते देखा है व उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूं। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–5 आरोप पत्र को देखकर कहा कि यह आरोप पत्र तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक हरि सिंह द्वारा तैयार किया गया है। जिस पर उनका हस्ताक्षर बना है जिसे वह प्रमाणित करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–11** अंकित किया गया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न एफ0आई0आर0 व कागज संख्या ए–4 कार्बन प्रति कायमी जी0 डी0 को देखकर कहा किया दोनों प्रपत्र हे0 मो0 जय जय राम चौधरी द्वारा तैयार करायी गयी थी। वह वर्तमान समय में चलने फिरने में असमर्थ है। उसने उन्हें लिखते पढ़ते व हस्ताक्षर करते देखा है।

19ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना के दिन ही मुकदमा लिखा गया था उसी दिन उसने विवेचना ग्रहण की थी। वह घटनास्थल पर उसी दिन अपने हमराहियों के साथ गया था। प्रथम सूचक प्रधान जी राकेश कुमार वर्मा थे। उस समय शायद वह प्रधान थे। उसने वादी मुकदमा का बयान घटना वाले दिन ही दिनांक 27.03.2016 को लिया था। बयान घटनास्थल पर ही लिया था। मृतका की लाश को उसके सामने ही नीचे उतारा गया था। दरवाजा खुला हुआ था। उसने पूछतांछ की थी तो प्रधान जी व अन्य

लोगों द्वारा बताया गया कि दरवाजा अन्दर से बंद था आवाज देने पर भी दरवाजा न खुलने पर दरवाजा खोल दिया गया था जिस समय मैं घटनास्थल पर गया था उस समय मृतका के गले पर रस्सी बंधी हुयी थीं जिस कमरे में मृतका की लाश टंगी थी वह वहां पर गया था। मृतका के कमरे के अन्दर ढिबरी जल रही थी काफी सामान था बेड भी था। फर्द बरामदगी में मृतका के कमरे में मौजूद सामान की सुपुर्दगी उसने ली थी या नहीं यह याद नहीं है। रस्सी को सुपुर्दगी में लिया था उसकी फर्द भी तैयार की थी। घटना के सम्बन्ध में उसने मृतका की बेटी श्वेता व पुत्र अनूप का बयान लिया था। श्वेता व अनूप दोनों ही नाबालिग थे। वादी मुकदमा के घर की चौहद्दी के बारे में उसने वादी मुकदमा से नहीं पूछा था। वादी मुकदमा से घटनास्थल की चौहद्दी नहीं पूछी थी क्योंकि वह वादी मुकदमा के साथ ही घटनास्थल पर गया था। घटनास्थल की चौहद्दी वादी मुकदमा, मृतका के पुत्र व बेटी के बताने के आधार पर नक्शानजरी तैयार की थी। घटनास्थल के पूरब मृतका का कमरा था। मृतका की लाश कमरे में लटकी थी। लाश के नीचे शायद चारपाई या बेड पड़ा था। उस चारपायी या बेड को सुपुर्दगी में नहीं लिया था तथा फर्द बरामदगी में भी नहीं दर्शाया था। मृतका का कमरा पूरब में था तथा कमरे से लगा हुआ आंगन था। कमरे का दरवाजा उत्तर की तरफ था। फर्द बरामदगी पर ग्राम प्रधान व अन्य लोग जो मौके पर उपस्थित थे उनका हस्ताक्षर बनवाया था। अन्य लोगों के नाम याद नहीं है। मृतका अंजनी व उसकी ननद अंजना के मध्य जमीनी विवाद था ऐसा लोगों के द्वारा बताया गया था। उसके सामने अंजना से मार पीट की कोई घटना नहीं हुयी थी। विवेचना करते समय वह घटनास्थल पर तीन से चार बार गया था। पंचनामा उसके द्वारा भरा गया था व चौकी के कांसटेबल द्वारा कराया गया था। पंचान भरा गया था उसमें गांव के कुछ लोगों का हस्ताक्षर हुआ था। पंचनामा पर वादी मुकदमा को मिलाकर पांच लोगों का हस्ताक्षर बनवाया गया था। पंचनामें पर वादी मुकदमा, अभयराज, भोला व अन्य दो लोगों के हस्ताक्षर बनवाये थे। गवाहों के द्वारा बताया गया था कि मृतका अंजनी व अंजना के मध्य जमीनी विवाद था। गवाहों ने बताया था कि मृतका अंजनी के साथ विपक्षीगण द्वारा मारपीट करने के कारण मृतका आहत थी जिससे उसने आत्महत्या कर ली थी। मौके पर जब वह पहुंचा तो मृतका के शरीर पर जाहिरा चोटें मौजूद थी उसके सिर के पिछले हिस्से से हल्का सा खून आ रहा था। उसने लगभग सवा दो महीने विवेचना की थी उसके बाद उसके प्रभारी निरीक्षक हरि सिंह को विवेचना सुपुर्द की गयी थी। आरोप पत्र प्रभारी निरीक्षक द्वारा दाखिल किया गया था। पी0एम0 रिपोर्ट के

आधार पर मुकदमें में धारा 302 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी थी जिस कारण यह विवेचना प्रभारी निरीक्षक हरि सिंह को सुपुर्द की गयी थी। पी0एम0 रिपोर्ट का अवलोकन उसके द्वारा किया गया था।

यह साक्षी मामले का विवेचक है तथा औपचारिक साक्षी है। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटनास्थल की चौहद्दी वादी मुकदमा, मृतका के पुत्र व बेटी के बताने के आधार पर नक्शानजरी तैयार की थी। घटनास्थल के पूरब मृतका का कमरा था। पी0एम0 रिपोर्ट के आधार पर मुकदमें में धारा 302 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी थी जिस कारण यह विवेचना प्रभारी निरीक्षक हरि सिंह को सुपुर्द की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष की ओर से विवेचक से पर्याप्त जिरह की गयी है परन्तु विवेचना के दौरान तथाकथित रूप से साक्षीगण द्वारा दिये गये बयान एवं न्यायालय में दिये बयान में विरोधाभाषों के सम्बन्ध में कोई भी प्रश्न अथवा सुझाव नहीं पूछा गया है।

20– वर्तमान प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मृतका ने आत्महत्या की थी। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि मृतका के पति की पूर्व में कई वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर में पांच महीने का गर्भ पाया गया है। इसी आत्मग्लानि के कारण मृतका द्वारा स्वयं आत्महत्या की गयी और अभियुक्त को रंजिशन फंसाया गया।

जहॉ तक बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का प्रश्न है कि वर्तमान प्रकरण में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतका द्वारा आत्महत्या किये जाने का उल्लेख है तो इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट गांव के तत्कालीन पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा दर्ज करायी गयी है जो घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे उनके द्वारा घटना की सूचना थाने पर उनकी जानकारी के तथ्यों के आधार पर दर्ज करायी गयी थी। अनेकों विधि व्यवस्थाओं में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का उद्देश्य विवेचना की कार्यवाही को प्रारम्भ किया जाना होता है और यदि विवेचना के दौरान प्रथम सूचना रिपोर्ट से भिन्न साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो भिन्न धाराओं में उचित आरोपपत्र प्रेषित किया जा सकता है।

21– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्ल्यू0 2 श्वेता जो कि स्वीकृत रूप से मृतका की पुत्री है, ने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसकी मॉ अंजनी को मारकर फांसी पर लटका दिया गया था।

22– बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में साक्षी का कथन है कि उसकी मम्मी जब मरी है तब रिपोर्ट लिखाने वह व उसके परिवार के लोग नहीं गये थे उस समय के प्रधान राकेश वर्मा एफ0 आई0 आर0 लिखाने गये थे। राकेश वर्मा जब एफ0 आई0 आर0 लिखाने गये थे तब उससे कोई पूछतांछ नहीं किया था। साक्षी को उसका 161 सीआर0पी0सी0 का बयान पढ़कर सुनाया गया साक्षी से पूछा गया कि बयान 161 सीआर0पी0सी0 में अंकित बात सही है या न्यायालय पर जो सशपथ बयान दिया है वह सही है तो साक्षी ने कहा कि उसने न्यायालय पर जो सशपथ बयान दिया है वह सही हैं उसने न्यायालय को दिये गये बयान में जो पप्पू का नाम लिखाया है वह किसी के कहने पर नहीं लिखाया है बल्कि पप्पू उस समय वहां पर थे। राम भरोसे डण्डा लिये थे, ननके उसकी मां का बाल पकड़कर लात से मार रहे थे, मुंशीलाल व पप्पू डण्डा लिये थे। चारों लोग ने मार पीटकर उसकी मां को टांग दिया उस समय रात का 12–01 बज रहा था। मौके पर औरतें व एक दो आदमी और थे उन औरतों व आदमियों का नाम नहीं बता पाउंगी। वह घटना के बाद किसी को बुलाने नहीं गयी बल्कि एक बूढे बाबा के भुसैला में अपने भाई के साथ छुप गयी। उसकी मम्मी की लाश सुबह सात आठ बजे उतारी गयी अन्दर का दरवाजा बंद था। लेकिन मम्मी जिस कमरे में लटकी थी वह खुला था। उसकी मां को चोट हाथ, पैर व गर्दन में थी। खोपड़ी फूट गयी थी सिर से खून निकल रहा था।

इस प्रकार जिरह में साक्षी ने स्पष्ट कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसकी मॉ को मारकर टांग दिया गया था। साक्षी का यह भी कथन है कि उसकी मम्मी का शव जिस कमरे में लटका था वह खुला हुआ था।

अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्ल्यू0 3 अनूप कुमार ने भी मुख्य परीक्षा में इस आशय का कथन किया है कि घटना वाली रात अभियुक्तगण द्वारा उसकी मॉ के साथ मारपीट की गयी थी तथा उसकी मॉ के गले में रस्सी से बांधकर लटका दिया था।

बचाव पक्ष द्वारा साक्षी से विस्तृत जिरह की गयी है जिसका कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है परन्तु जिरह में ऐसी कोई महत्वपूर्ण विसंगति अथवा तथ्य संज्ञान में नहीं आया है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि साक्षी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और उसके द्वारा अभियुक्तगणों द्वारा उसकी मॉ के साथ मारपीट करते हुए अथवा उसकी मॉ को रस्सी से बांधकर लटकाते हुए नहीं देखा था।

उल्लेखनीय है कि साक्षी घटना के समय एवं न्यायालय में बयान दिये जाते

समय अवयस्क था। अतः इस साक्षी की साक्ष्य में थोड़ी बहुत विसंगति स्वाभाविक है परन्तु मात्र इस आधार पर इस साक्षी की साक्ष्य को पूर्णतया अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

23– अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी0 डब्ल्यू0 4 के रूप में कर्ताराम को परीक्षित कराया गया है। घटना आज से करीब छः सात साल पहले होली के त्यौहार की है। यह भी कथन किया है कि होली से एक दिन पहले अंजना राम भरोसे के घर त्यौहार करने आयी थी और अंजना के ऊपर रात में किसी ने हमला कर दिया। राम भरोसे और उनके लड़के मुंशीलाल तथा ननके ने भी उसे मारा पीटा था इस कारण आत्म ग्लानि से तथा राम भरोसे और उनके लड़के मुंशीलाल और ननके ने उसे फांसी लगाकर लटका दिया और अगली सुबह जब वे लोग वहां मौके पर पहुंचे तो उसकी लाश आंगन में रखी हुयी थी। पुलिस वाले मौके पर आ गये थे अंजनी के घर में कोई नहीं था छोटे–छोटे बच्चे थे इस कारण उसकी मृत्यु की घटना की सूचना गांव के पूर्व प्रधान राकेश कुमार वर्मा ने लिखकर थाने में दिया था। उन लोगों से भी पुलिस वालों ने पूछतांछ किया था मृतका अंजनी के एक लड़का अनूप और एक लड़की श्वेता थी। दोनों मम्मी–मम्मी करके रो चिल्ला रहे थे।

प्रति परीक्षा किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना लगभग आठ दस साल पहले की है। घटना के समय ग्राम प्रधान राकेश वर्मा थे। थाने पर दरख्वास्त किसने दिया था यह वह नहीं जानता, राकेश वर्मा ने थाने पर फोन से सूचना दिया था। मृतका अंजनी व उसकी ननद अंजना में जमीनी रंजिश चल रही थी। घटना की जानकारी उसे अगले दिन सुबह गांव में हल्ला होने पर हुयी। मृतका अंजनी से उसका घर दो घर के बाद है। वह केश कुमार को जानता है केश कुमार के पिता जी की मृत्यु हुये तीस चालीस साल हो गये वे लोग काफी छोटे–छोटे थे। आगे जिरह में कथन किया है कि जिस कमरे में मृतका फांसी लगाकर मरी वह कमरा उसने देखा था। वह जब कमरे में गया उस समय कमरे का दरवाजा खुला था, कमरे में पुलिस वाले व गांव वाले मौजूद थे। अंजनी देवी के घर के उत्तर लीक (कच्ची सड़क) है। मृतका की ननद अंजना की शादी हुयी कि नहीं वह नहीं जानता। घटना की जानकारी उसे सुबह लगभग 6–7 बजे हुयी। पुलिस लगभग आधे घंटे बाद आ गयी थी। वह पढ़ा लिखा नहीं है महरौली के ननकऊ सिंह का कत्ल हुआ था यह वह जानता है उसमें लगभग आठ लोग फंसे थे मृतका अंजनी को एक लड़का था। राम भरोसे, मुंशी के घर से उसका घर लगभग दस मीटर दूर था। घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने उससे

पूंछताछ नहीं किया था। दरोगा जी ने उसके घर पर आकर उससे कोई पूछतांछ नहीं की थी।

सुझाव में प्रश्न पूछे जाने पर कथन किया गया है कि यह कहना गलत है कि उसने कोई घटना नहीं देखी और वादी से मिलकर झूठी गवाही दे रहा है। यह कहना गलत है कि मुंशीलाल से उसका जमीनी झगड़ा चल रहा है जिसके कारण उसके विरूद्ध झूठी गवाही दे रहा है। यह कहना गलत है कि मुंशी लाल से उसकी जमीनी झगड़ा चल रहा है जिसके कारण उसके विरूद्ध झूठी गवाही दे रहा है।

यह साक्षी मृतका के बगल का रहने वाला है। होली से एक दिन पहले अंजना राम भरोसे के घर त्यौहार करने आयी थी और अंजना के ऊपर रात में किसी ने हमला कर दिया। राम भरोसे और उनके लड़के मुंशीलाल तथा ननके ने भी उसे मारा पीटा था। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि मृतका अंजनी व उसकी ननद अंजना में जमीनी रंजिश चल रही थी। मृतका अंजनी के रामभरोसे रिश्ते में ससुर लगते थे। जिस कमरे में मृतका फांसी लगा कर मरी वह कमरा उसने देखा था। वह जब कमरे में गया उस समय कमरे का दरवाजा खुला था, कमरे में पुलिस वाले व गांव वाले मौजूद थे। इस साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने कोई घटना नहीं देखी और वादी से मिलकर झूठी गवाही दे रहा है। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से घटना वाली रात अभियुक्तगण द्वारा मृतका के साथ मारपीट किये जाने के तथ्य की पुष्टि होती है और इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि मृतका का शव जिस कमरे में पाया गया था वह कमरा खुला हुआ था।

24– स्वीकृत रूप से वर्तमान प्रकरण में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतका द्वारा आत्महत्या किये जाने के संबंध में दर्ज करायी गयी थी परन्तु विवेचना के उपरान्त भा0दं0सं0 की धारा 302 के अपराध का गठन पाये जाने के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियुक्तगण रामभरोसे एवं मुंशी लाल के विरूद्ध धारा 302 भा0द0ंसं0 के अधीन आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्त रामभरोसे की मृत्यु दौरान विचारण हो चुकी है तथा उनके सम्बन्ध में दाण्डिक विचारण की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है।

इस स्तर पर अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू0 6 अखिलेश राही की साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाती है। जिन्होंने विवेचना के दौरान गवाहों के बयान दर्ज करने की बात को नक्शानजरी तैयार किये जाने को बरामदशुदा प्लास्टिक की रस्सी को आरोपपत्र एवं अन्य अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया है।

इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गयी है जिन्होंने स्पष्ट रूप से कथन

किया है कि वह मौके पर जब पहुॅचा तब मृतका के शरीर पर जाहिरा चोटें मौजूद थी उसके सिर के पिछले हिस्से पर हल्का सा खून आ रहा था, मैंने लगभग सवा दो महीने विवेचना की थी उसके बाद मेरे प्रभारी निरीक्षक हरि सिंह को विवेचना सुपुर्द की गयी थी। आरोपपत्र प्रभारी निरीक्षक द्वारा दाखिल किया गया था। पी0 एम0 रिपोर्ट के आधार पर मुकदमें में धारा 302 आई0पी0सी0 की बढ़ोत्तरी की गयी थी जिसके कारण यह विवेचना प्रभारी निरीक्षक हरि सिंह को सुपुर्द की गयी थी। इस प्रकार साक्षी द्वारा विवेचना के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर भा0दं0सं0 की धारा 302 की वृद्धि और उसके आधार पर भा0दं0सं0 की धारा 302 के अधीन आरोपपत्र प्रेषित किये जाने की पुष्टि की गयी है।

इस स्तर पर मृतका के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर चिकित्सक साक्षी डा0 अजय गौतम की साक्ष्य व जिरह महत्वपूर्ण हो जाती है जिसका एक बार पुनः अवलोकन एवं उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किये जाते समय **मृतका के शरीर पर निम्न मृत्यु पूर्व चोटे पायी गयीं–**

1. Left Arm deformity fracture of shaft humerous.

2. Abrasion of 1x0.5c.m on dorsal Aspect of right forearm 8 cm above right wrist joint.

3. Contusion of 20x1 c.m. mid back to low back area 3 c.m from ASIS.

4. Contused swelling of 9x8 c.m on anterior aspect of left knee joint.

5. Ligature Mark reddish brown in colour 22x1 cm. Around the neck interrupted 1cm. At nape of neck 6cm. From right ear lobule, 3cm. From left ear lobule and 7cm. From chin.

6- Lacerated wound of 3x0.5cm bone deep present on left parietal head 7cm from left ear pinna.

मृत्यु का सम्भावित समय लगभग 12 से 24 घंटे के भीतर था।

मृत्यु का सम्भावित कारण Due to Asphyxia as a result of Antemortem Strengulation था। सभी चोटे मृत्यु पूर्व की थीं तथा मृत्यु कारित

करने के लिये पर्याप्त थीं। चोटें स्वयं कारित नहीं की जा सकती थी।

जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि मृतका के शरीर पर लगभग 06 चोटें पायी गयी। मृतका को बाजू, गर्दन, घुटने व अन्य जगह पर चोट थी कुल मिलाकर 06 जगह चोट थी। गला दबाने पर आगे की हड्डी hyoid bone टूटती है। वह हड्डी टूटी हुयी थी। आगे जिरह में कथन किया है कि मृतका के गले पर लाइगेचर मार्क मिला था। गर्दन पर आयी चोट रस्सी, दुपट्टा अथवा किसी फन्दे से आ सकती है। बाजू की हड्डी जो टूटी थी वो Hard and Blunt Object से हो सकती है। बाजू की हड्डी में फ्रैक्चर था हाथ उठाने पर वह झूल रही थी। गर्दन के पीछे 01 सेमी0 का गैप पाया गया था। विवेचक ने उसका बयान लिया था कब लिया था यह याद नहीं है। पोस्टमार्टम करते वक्त मृतका के पैर सीधी अवस्था में थे।

सुझाव में प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि यह कहना गलत है कि मृतका ने आत्महत्या की है और उसके द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार की गयी है।

इस प्रकार इस विशेषज्ञ साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि मृतका की मृत्यु Strangulation के कारण हुई थी। साक्षी के द्वारा यह भी कथन किया गया है कि मृतका की हाइड बोन फ्रैक्चर पायी गयी थी जो स्वीकृत रूप से Strangulation का विशिष्ट लक्षण है, न कि आत्महत्या का। अभियोजन द्वारा मृतका अंजनी की हत्या गला दबाकर किया जाना कहा गया है जो गले में पाये गये लिगेचर मार्क से भी स्पष्ट है। साक्षी ने यह भी बयान दिया है कि मृतका के शरीर पर पायी गयी सभी चोटें मृत्यु के पूर्व की थी तथा मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी एवं चोटें स्वयं कारित नहीं की जा सकती थीं।

उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्ल्यू0 2 श्वेता एवं पी0 डब्ल्यू0 3 अनूप कुमार तथा पी0 डब्ल्यू0 4 कर्ताराम के द्वारा इस आशय का स्पष्ट साक्ष्य दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका के साथ मारपीट की गयी थी तथा उसको फांसी पर लटका दिया गया था।

25क– बचाव पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **डी०डब्लू०–1 रामपाल** को परीक्षित कराया गया है जिसने **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि आज से 9 वर्ष पहले की घटना जो बतायी जा रही है। उस दिन मृतका अंजली व केसरी कुर्मी ने ननद अंजना को मारा पीटा था। जिसके सम्बन्ध में अंजना देवी ने मृतका अंजनी व केसरी कुर्मी के विरूद्ध थाना इकौना में हरिजन एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। जो

न्यायालय में विचाराधीन है। मृतका अंजनी के ससुर व सास की मृत्यु काफी दिन पहले हो गयी थी और कुछ दिन बाद मृतका अंजनी के पति केश कुमार की भी मृत्यु हो गयी थी। मृतका के पति की मृत्यु के बाद पैतृक सम्पत्ति की विरासत ननद अंजना व मृतक अंजनी के नाम हो गयी थी। मृतका अंजनी अपने हिस्से की जमीन केसरी कुर्मी को खेती करने के लिये दिया था। केसरी कुर्मी व अंजनी ने ननद अंजना की जमीन को हड़पना चाहते थे, इसलिये मृतका अंजनी व अंजना के विरूद्ध जमीनी विवाद चल रहा था। जमीन हड़पने के लिये दिनांक 26.03.2016 की रात में अंजनी व केसरी कुर्मी अंजना के घर में घुसकर जान से मार डालने के लिये हमला कर दिये ननद अंजना मुल्जिम राम भरोसे की भतीजी लगती है और होली में राम भरोसे के घर आयी थी। इस घटना के अलावा और कोई घटना उस दिन हमारे गांव में नहीं हुयी थी। वादी मुकदमा राकेश कुमार वर्मा घटना के समय पूर्व प्रधान थे। अभियुक्तगणों ने वादी मुकदमा राकेश वर्मा को प्रधानी के चुनाव में विरोध किया था इसी रंजिश को लेकर पूर्व प्रधान राकेश वर्मा ने यह मुकदमा दर्ज करा दिया। मृतका के गले व हाथ में जो चोटें आयी है दिनांक 26.03.2016 की रात में हुयी मार पीट की घटना के कारण आयी है। मृतका अंजनी व केसरी कुर्मी के बीच अवैध सम्बन्ध था।

25ख– अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि मृतका अंजनी उसकी पट्टीदारी की बहू थी। अंजनी को अभियुक्तगण ने घटना वाले दिन मारा पीटा नहीं था। बल्कि अंजनी व केसरी वर्मा ने अंजना को मारा पीटा था। मृतका अंजनी अभियुक्त राम भरोसे की पट्टीदारी की बहू है। मृतका अंजनी के पति केश कुमार की मृत्यु के पश्चात मृतका व उसकी नदद के नाम जरिये वरासत अंकित हो गयी थी। घटना वाले दिन अपने चाचा के घर आयी थी। यह कहना गलत है कि अंजनी की जमीन जो कि अभि0 के भतीजे केश कुमार की मृत्यु के पश्चात मृतका के नाम आयी थी जिसे हड़पने के लिये अभि0गण ने उसकी हत्या कर दी। यह कहना गलत है कि राम भरोसे की पट्टीदारी का भाई होने के कारण उन्हें बचाने के लिये झूठी गवाही दे रहा है।

यह साक्षी अभियुक्त की पट्टीदारी का भाई है। यह साक्षी हितबद्ध साक्षी है। इस साक्षी के साक्ष्य से बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। परन्तु इतना अवश्य स्पष्ट है कि दिनांक 26.03.2016 की रात्रि में अभियुक्तगण एवं मृतका के बीच विवाद में मारपीट होने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। साक्षी द्वारा स्वयं मुख्य परीक्षा में स्वीकार किया गया है कि मृतका के गले व हाथ में जो चोटें आयी हैं वह दिनांक

26.07.2016 की रात में हुई मारपीट की घटना में आयी हैं।

26क– बचाव पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **डी०डब्लू०–2 हनुमान सिंह** को परीक्षित कराया गया है जिसने **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि आज से नौ वर्ष पहले जो घटना बतायी जा रही है उसमें मृतका अंजनी व ननद अंजना के बीच जमीनी विवाद था। अंजनी के सास ससुर की मृत्यु काफी पहले हो गयी थी, उसके कुछ दिन बाद मृतका अंजनी के पति केश कुमार की मृत्यु हो गयी, पैतृक सम्पत्ति मृतका अंजनी व ननद अंजना के नाम वरासत हो गयी ननद अंजना की शादी उस समय नहीं हुयी थी, मृतका अंजनी अपने हिस्से की जमीन गांव के ही केसरी कुर्मी को खेती के लये दिया था। अंजनी (मृतका) व केसरी कुर्मी दोनों मिलकर ननद अंजना के हिस्से की जमीन हड़पना चाहते थे अंजना व अंजनी में जमीनी विवाद होने के कारण अंजना केवलपुर में अपनी बहन गुड़िया के यहां रहने लगी। होली के आस पास अंजना अपने चचेरे चाचा राम भरोसे के यहां होली मनाने आयी थी। दिनांक 26.03.2016 की रात में अंजनी व केसरी कुर्मी अंजना के घर में घुसकर जान से मारने के उद्देश्य से हमला कर दिया और बुरी तरह से मारा पीटा उसी मार पीट में मृतका अंजनी को भी चोटे आयी थी। अंजना ने अंजनी देवी के विरूद्ध मुकदमा लिखाया था इस घटना के अलावा उसके गांव में कोई घटना नहीं हुयी थी, वादी मुकदमा राकेश वर्मा घटना के समय पूर्व प्रधान थे। अभियुक्तगणों ने राकेश वर्मा को प्रधानी के चुनाव में वोट नहीं दिया था उसी रंजिश के कारण वादी मुकदमा ने यह मुकदमा लिखा दिया।

26ख– अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि मृतका के पति केश कुमार के नाम पैतृक जमीन थी, उस सम्पत्ति को लेकर मृतका व ननद अंजना के बीच विवाद था। मृतका की मृत्यु कैसे हुयी वह नहीं जानता, हल्ला गोहार पर वह गया था, मृतका की लाश देखी थी।

इस साक्षी के साक्ष्य से यह साबित होता है कि यह साक्षी घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है और वह शोर सुनने पर गया था और मृतका के शव को देखा था परन्तु साक्षी ने मुख्य परीक्षा में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि घटना वाली रात मृतका एवं अभियुक्तगण के मारपीट हुई थी जिसमें मृतका अंजनी को चोटें आयी थीं।

27क– बचाव पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **डी०डब्लू०–3 भूपाल सिंह** को परीक्षित कराया गया है जिसने **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि आज से 9 साल पहले की घटना जो बतायी जा रही है। उस दिन मृतका अंजनी व केसरी कुर्मी ने अंजना, जो मृतका की ननद लगती है, को मारा पीटा था जिसके सम्बन्ध में अंजना देवी ने

मृतका अंजनी व केसरी कुर्मी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया था, मृतका अंजनी के ससुर व सास की मृत्यु काफी दिन पहले हो गयी थी और बाद में मृतका अंजनी के पति केश कमार की भी मृत्यु हो गयी थी, पैतृक सम्पत्ति मृतका अंजनी व ननद अंजना के नाम वरासत हो गयी, मृतका अंजनी ने अपने हिस्से की जमीन गांव के ही केसरी कुर्मी को खेती करने के लिये दे रखी थी। केसरी कुर्मी व मृतका अंजनी, अंजना की जमीन हड़पना चाहते थे उस समय अंजना की शादी नहीं हुयी थी, जमीनी रंजिश के कारण ननद अंजना डरवश अपनी बहन गुड़िया के यहां केवलपुर में रहने लगी। होली के आस पास अंजना महरौली में राम भरोसे के यहां होली का त्यौहार मनाने आयी थी, दिनांक 26.03.2016 की रात में अंजनी व केसरी कुर्मी ने जान से मारने की नियत से हमला किया था। जिसमें ननद अंजना को काफी चोटें आयी थी। इस घटना के अलावा उसके गांव में और कोई घटना नहीं हुयी थी, वादी मुकदमा राकेश वर्मा को अभियुक्तगण ने प्रधानी के चुनाव में वोट नही ंदिया था, इसी वजह से पूर्व प्रधान वादी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध यह मुकदमा दर्ज कराया गया।

27ख– अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि मृतका अंजनी, राम भरोसे की चचेरी बहू है। अंजनी के पति केश कुमार की मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पत्ति अंजनी के नाम जरिये वरासत आयी थी। उसी जमीन के कारण विवाद था। यह कहना गलत है कि उस सम्पत्ति के कारण राम भरोसे ने अंजनी की हत्या कर दी। यह कहना गलत है कि अभियुक्त को बचाने के लिये वह झूठी गवाही दे रहा है।

इस साक्षी के साक्ष्य से यह साबित होता है कि मृतका व अभियुक्तगण के मध्य जमीनी विवाद था तथा साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना वाली रात मृतका एवं अभियुक्तगण के बीच विवाद हुआ था एवं मारपीट हुई थी।

28– उल्लेखनीय है कि स्वयं बचाव पक्ष की ओर से सूची 83ए के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 459/2016 की प्रमाणित प्रति जो दिनांक 26.03.2016 की घटना के संबंध में दर्ज करायी गयी है प्रस्तुत की गयी है जो यह स्पष्ट करता है कि घटना वाली रात मृतका एवं अभियुक्तगण के मध्य मारपीट हुई थी।

वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्ल्यू0 2 श्वेता एवं पी0 डब्ल्यू0 3 अनूप कुमार तथा पी0 डब्ल्यू0 4 कर्ताराम के द्वारा इस आशय का स्पष्ट साक्ष्य दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका के साथ मारपीट की गयी थी तथा उसको फांसी पर लटका दिया गया था।

इसी प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्ल्यू0 5 डा0 अजय गौतम द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि मृतका की मृत्यु Strangulation के कारण हुई थी। साक्षी के द्वारा यह भी कथन किया गया है कि मृतका की हाइड बोन फ्रैक्चर पायी गयी थी जो स्वीकृत रूप से Strangulation का विशिष्ट लक्षण है, न कि आत्महत्या का। अभियोजन द्वारा मृतका अंजनी की हत्या गला दबाकर किया जाना कहा गया है जो गले में पाये गये लिगेचर मार्क से भी स्पष्ट है। साक्षी ने यह भी बयान दिया है कि मृतका के शरीर पर पायी गयी सभी चोटें मृत्यु के पूर्व की थी तथा मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी एवं चोटें स्वयं कारित नहीं की जा सकती थीं।

अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्ल्यू0 6 अखिलेश राही द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह मौके पर जब पहुॅचा तब मृतका के शरीर पर जाहिरा चोटें मौजूद थी उसके सिर के पिछले हिस्से पर हल्का सा खून आ रहा था, मैंने लगभग सवा दो महीने विवेचना की थी उसके बाद मेरे प्रभारी निरीक्षक हरि सिंह को विवेचना सुपुर्द की गयी थी। आरोपपत्र प्रभारी निरीक्षक द्वारा दाखिल किया गया था। पी0 एम0 रिपोर्ट के आधार पर मुकदमें में धारा 302 आई0पी0सी0 की बढ़ोत्तरी की गयी थी जिसके कारण यह विवेचना प्रभारी निरीक्षक हरि सिंह को सुपुर्द की गयी थी। इस प्रकार साक्षी द्वारा विवेचना के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर भा0दं0सं0 की धारा 302 की वृद्धि और उसके आधार पर भा0दं0सं0 की धारा 302 के अधीन आरोपपत्र प्रेषित किये जाने की पुष्टि की गयी है।

विधि व्यवस्था **बी०जे०मार्कड बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2016) 10 एस०सी०सी० पेज 537** एवं **जोश बनाम सब इन्सपेक्टर पुलिस (2016) 10 एस०सी०सी० पेज 519** में यह अवधारित किया गया है कि संदेह के लाभ की अवधारणा को इस हद तक विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए कि दोषी व्यक्ति को उसका अनुचित लाभ मिल सके।

29– अभियोजन साक्षी सं0 1 राकेश कुमार वर्मा द्वारा तहरीर को साबित किया गया है। अभियोजन साक्षी सं0 2 श्वेता एवं अभियोजन साक्षी सं0 3 अनूप कुमार जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, के साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्तगण ने मृतका अंजनी देवी की हत्या की गयी है। अभियोजन साक्षी सं0 4 कर्ताराम के साक्ष्य से मृतका व अभियुक्तगण के मध्य जमीनी रंजिश होना साबित है जिससे घटना का हेतुक साबित है। इसके अतिरिक्त साक्षी पी0 डब्ल्यू0 5 डा0 अजय गौतम जो विशेषज्ञ साक्षी है, ने मृतका की मृत्यु Strangulation के कारण होना साबित किया है। पी0 डब्ल्यू0 6

उप निरीक्षक अखिलेश राही द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया गया है। इन साक्षियों के साक्ष्य में ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभाष अथवा विसंगतियॉ नहीं पायी गयी है जिससे बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत तर्को को कोई बल मिलता हो।

इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों तथा उपरोक्त संदर्भित सभी सम्मानित निर्णीत विधियों में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं समस्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में तथा उपरोक्त विवेचना से यह साबित है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभियोजन साक्ष्य से, प्रश्नगत अभियुक्त मुंशी लाल के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 302, 325 का आरोपित आरोप, युक्तियुक्त सन्देह से परे, साबित होना पाया जाता है, जिसके कारण उपरोक्त प्रश्नगत अभियुक्त मुंशी लाल को भा०दं०सं० की धारा 302, 325 के आरोपित आरोप में, दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में, उपरोक्त मामले में **उपरोक्त प्रश्नगत अभियुक्त मुंशी लाल को भा०दं०सं० की धारा 302, 325 के आरोपित आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।** अभियुक्त जमानत पर हैं उसके बंधपत्र एवं प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। **अभियुक्त मुंशी लाल को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।**

दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक 23.03.2026

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 23.03.2026

दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हुई।

दोषसिद्ध अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है तथा वह नवयुवक है एवं उसके बाल बच्चों की परवरिश करने वाला कोई नहीं है। अतः अभियुक्त को कम से कम सजा से दण्डित किया जाये, जबकि अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा 325 भा0दं0सं0 के अतिरिक्त भा0दं0सं0 की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है। भा0दं0सं0 की धारा 302 में न्यूनतम दण्ड आजीवन कारावास प्राविधानित है तथा यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता है। अतः उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुये निम्नलिखित दण्डादेश दिया जाना उचित होगा।

<u>दण्डादेश</u>

दोषसिद्व अभियुक्त **मुंशी लाल** को धारा **302, 325 भा0दं0सं0** में दोष सिद्वि पाते हुएः–

अभियुक्त **मुंशी लाल** को भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 302** के अन्तर्गत **आजीवन कारावास** एवं **दस हजार रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने की दशा में दोषसिद्व अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

अभियुक्त मुंशी लाल को भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 325** के अन्तर्गत **एक वर्ष के कारावास** एवं **एक हजार रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने की दशा में दोषसिद्ध अभियुक्त को 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जायेगी।

अभियुक्त की दोनों सजायें साथ–साथ चलेंगी।

अभियुक्त को उक्त निर्णय/आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

अभियुक्त का सजायाबी वारंट बनाकर जिला कारागार भेजा जाये।

दिनांक 23.03.2026

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

निर्णय, आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 23.03.2026

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती